National Diary Project-II (Operation Flood-III) which is being financed by World Bank and the European Economic Community (EEC), dairy developmental activities are funded in the State.

जम्मू और काश्मीर में सेब की फसल का संरक्षण

3590. **डा. रत्नाकर पाण्डेय** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : जम्मू और कश्मीर में सेब की फसल के संरक्षण के लिए और वहां सेब उत्पाद की खपत को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नितिश कुमार) : जम्मू और कश्मीर में सेब की फसल के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) सेबों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तकनीकी जानकारी प्रदान करके सहायता करना;

(2) जम्मू और काश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन निगम ने किसानों से उनके उत्पाद को राज्य से बाहर बेचने के लिए खरीदने हेतु कदम उठाए हैं । इसी प्रकार राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड भी जम्मू और कश्मीर से सेबों के विपणन का कार्य करने तथा फलों की पैकिंग के लिए गत्ते के डिब्बे (कार्टोन्स) तथा पेपर ट्रे की सप्लाई करने के लिए सहमत हो गया है;

(3) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड फलों की ग्रेडिंग करने के लिए स्टाफ को प्रशिक्षण देने पर भी सहमत हो गया है, ताकि किसानों को अधिक कीमत प्राप्त हो सके;

(4) चालू मौसम के दौरान राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा, जम्मू और कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन निगम तथा नेफेड के सहयोग से लगभग 75,000 मीटरी टन फलों की कुल खरीद की जाएगी ।

मुस्लिम समुदाय के हरिजनों द्वारा हाथ में मैला उठाने का कार्य किया जाना

3591. **डा. अबरार अहमद खान** : क्या **कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुस्लिम समुदाय में भी ऐसे हरिजन हैं, जो हाथ से गन्दगी साफ करने और मैला उठाने का कार्य करते हैं, यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके उत्थान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और साथ ही उनकी संख्या कितनी है और वे कहां रहते हैं; और

(ख) क्या इन मुस्लिम हरिजनों को सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता, शिक्षा में सहायता और उनके बच्चों को रोजगार या आरक्षण सुविधा दी गई है, उन्हें भूमि या आवास का आवंटन, उन्हें अपना व्यवसाय बदलने के लिए ऋण या कृषि भूमि का आवंटन किया गया है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ?

श्रम एवं कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) मुस्लिम समुदाय का एक विशेष वर्ग भी अस्वच्छ व्यवसाय में कार्यरत है । सफाई कर्मचारियों की विमुक्ति की एक केन्द्र प्रायोजित योजना कार्यान्वयनाधीन है, जिसमें मौजूदा शुष्क शौचालयों को जलवाहित शौचालयों में परिवर्तित करने और विस्थापित सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास की व्यवस्था है । इस योजना के अन्तर्गत गैर अनुसूचित जाति समुदायों से सम्बधित सफाई कर्मचारी भी विभिन्न कामधन्धों/व्यवसायों में प्रशिक्षण के लिए पात्र हैं । गैर अनुसूचित जाति मुक्त सफाई कर्मचारियों को पुनर्वास हेतु सामान्य